>

Title: Need to incorporate necessary changes in railway catering policy to protect the interest of small venders - laid.

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा) : महोदय, वर्ष, 2004 तक सभी श्रेणियों के लोग देश के विभिन्न रेलवे प्लेटफार्मों पर रेलवे विभाग को सामान्य लाईसेंस फीस देकर स्टॉल्स, ट्राली आदि के लायसेंस लेकर अपने परिवारों का पालन-पोषण कर रहे थे। रेलवे प्लेटफार्मों पर कार्य करने वाले छोटे छोटे स्टाल्स वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखकर यह नीति बनाई गई थी।

इसके बाद वर्ष 2004 में नई कैटरिंग नीति बनाई गई किंतु छोटे छोटे लायसेंसियों के हित में नहीं होने के कारण उस पर अमल नहीं हुआ। वर्ष 2005 में जो नीति लागू की गई उसमें छोटे लायसेंसियों के हितों को अनदेखा किया गया है। छोटे वैंडरों पर बहुत ज्यादा लायसेंस फीस समय समय पर लगाई जा रही है। जबकि रेल मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया था कि छोटे कैटरिंग स्टाल्स, वैंडर्स जो कि आरक्षित कैटेगरी द्वारा चलाये जा रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी। बहुत ज्यादा लायसेंस फीस होने के कारण छोटे वैंडर्स पर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ रहा है जिस कारण से वे पलायन कर रहे हैं और उनको अपना और अपने परिवार का पालन-पोषण करने में भारी कठिनाई हो रही है।

नई कैटरिंग नीति को पूरी तरह से वाणिज्यिक और भारतीय रेल की आय बढ़ाने की दृष्टि से बनाया गया है इसमें छोटे एवं गरीब ठेकेदारों के लिए कोई स्थान नहीं है। यही कारण है कि प्लेटफार्मों पर छोटे स्टॉल, वैंडर्स आदि के लिए जो भी टेंडर निकाले जा रहे हैं और लायसेंस फीस महंगी होने के कारण छोटे वैंडर्सों को यह नहीं मिल पाते और धीरे धीरे सभी जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा होता जा रहा है और देश में रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों में से 80 प्रतिशत यात्री जिनको इडली, वड़ा आदि सस्ती दरों पर मिलता था उसके स्थान पर नाश्ता ही 60 से 80 रूपए में मिल रहा है जो छोटे ठेकेदारों के साथ साथ इस देश की गरीब जनता के साथ भी अन्याय है।

अतः मेरी रेल मंत्री जी से मांग है कि छोटे लायसेंसियों को जैसे ट्रॉली, स्टॉल्स, खोमचा वालों को फिर से ए,बी,सी श्रेणी में रेलवे स्टेशनों पर व्यापार करने दिया जाये। वार्षिक बिक्री का 12 प्रतिशत ही लायसेंस के रूप में लिया जाये। छोटे स्टॉल वालों को भी फास्ट फूड आयटम बेचने की अनुमति दी जाये। इससे न केवल वार्षिक आय बढ़ेगी बल्कि रेलवे की आय में भी बढ़ोत्तरी होगी।

* Treated as laid on the Table.

मुझे विश्वास है कि रेल मंत्री महोदय छोटे लायसेंसियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करेंगे।